उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा–206130

Uttar Pradesh University of Medical Sciences, Saifai, Etawah-206130

(Formerly U.P. Rural Institute of Medical Sciences & Research, Saifai, Etawah)

Tel.: (05688) 276569, E.Mail- deanrimsnr@gmail.com

संख्याः **8889**/यूपीयूएमएस/छात्रप्रकोष्ठ/2019–20 दिनांक **11** जून, 2019

नोटिस

पत्र सं.8866/यूपीयूएमएस/छात्रप्रकोष्ठ/2019–20 दिनांक 31.05.2019 द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों से एमबीबीएस छात्र/छात्राओं की अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना मांगी गयी थी। विभागाध्यक्षों से प्राप्त सूचना के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम के विभिन्न बैचों के अधिकांश छात्र/छात्राएं स्वेच्छा से कक्षाओं में अकारण ही अनुपस्थित चल रहे हैं।

अनुपस्थिति के सम्बन्ध में पूर्व में छात्र/छात्राओं के अभिभावकों को पत्र दिनांक 15.11.2018, दिनांक 01.01.2019 के साथ–साथ नोटिस दिनांक 12.12.2018 द्वारा भी सूचित किया जा चुका है तथा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों एवं कक्षाओं में भी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में वार्ता की जाती रहती है तथा निर्देशित किया जाता है कि वह नियमित कक्षाओं में उपस्थित हों, अन्यथा की दशा में कम उपस्थिति के कारण वह विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं हेतु पात्र नहीं होंगे। उपरोक्त प्रयासों के पश्चात भी छात्र/छात्राएं लगातार स्वेच्छा से कक्षाओं में अनुपस्थित रह रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह अपने अध्ययन में रूचि नहीं ले रहे हैं और बार–बार निर्देशित करने के पश्चात भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। उक्त कृत्य उनके मनमाने व्यवहार एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है।

एम.सी.आई. ग्रेजएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन–1997 के Chapter-IV 12. Examination Regulation (1) Ammended 16.10.2003 – के अनुसार– "(I) ATTENDANCE: 75% attendance in a subject for appearing in the examination is compulsory inclusive of attendance in non-lecture teaching i.e. seminars, group discussions, tutorials, demonstrations, practicals, hospital (Teritary Secondary, Primary) posting and bed side clinics etc." एम.सी.आई. के नियमानुसार 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राएं विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं हेतु पात्र नहीं होंगे, जिसके कारण उनका शैक्षणिक सत्र भी स्वतः ही आगे बढ़ जायेगा। इसके लिए स्वयं सम्बन्धित छात्र/छात्राएं ही उत्तरदायी होंगे।

जैसा कि छात्र/छात्राओं के अभिभावकों को पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है कि परीक्षा हेतु पात्रता निर्धारित करते समय अपात्र छात्र/छात्राएं किसी भी तरह की सहानुभूति के पात्र नहीं होंगे और इस सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं का कोई भी आश्वासन/प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी।

11.6.19

(प्रो0 (डा0) पी0के0 जैन)
संकायाध्यक्ष, चिकित्सा संकाय

प्रतिलिपि–

1. परीक्षा नियंत्रक।
2. विभागाध्यक्ष, एनाटामी, फिजियोलाजी, बायोकमेस्ट्री।
3. विभागाध्यक्ष, पैथालोजी, फार्माकोलाजी, माईक्रोबायोलाजी, फारेन्सिक मेडिसिन।
4. विभागाध्यक्ष, ई0एन0टी0, आप्थलमोलाजी, कम्यूनिटी मेडिसिन।
5. विभागाध्यक्ष, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आब्स एण्ड गायनी।

(Items 2–5: **Sent through E-mail and HOD WhatsApp Group**)

6. वैयक्तिक सहायक को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
7. इन्चार्ज, सी0एस0सी0 (आई.टी.) को अभिभावकों/अभ्यर्थियों के सूचनार्थ वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. समस्त नोटिस बोर्ड सम्बन्धित छात्रावास।

11/6/19

(प्रो0 (डा0) पी0के0 जैन)
संकायाध्यक्ष, चिकित्सा संकाय

Scanned by CamScanner